

कार्यालय :: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

--:: विविध आदेश ::--

कमॉक-क / दो-12-34/71

बिलासपुर, दिनांक 06 अप्रैल, 2021.

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के **ORDER** No.-66 (Mis.) /II-14-1/2021, Bilaspur, Dated 05<sup>th</sup> April 2021 के अनुसार दिनांक 06-04-2021 से COVID-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आगामी आदेश तक जिला न्यायालय बिलासपुर में न्यायिक कार्य व्यवस्था निर्धारित की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार इस दौरान जमानत एवं रिमाण्ड के प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरण की सुनवाई हेतु न्यायालय के कार्य करने का समय 11.00 AM से 02.00 PM बजे तक रहेगा। नए वाद/प्रकरण इसी अवधि के दौरान पेश किए जा सकेंगे साथ ही निम्न स्वरूप के प्रकरणों की सुनवाई की जा सकेगी :-

- (1) Remand matters
- (2) Bail matters
- (3) Supurdnama matters
- (4) Appeal & Revision (Both Civil & Criminal)
- (5) Matters relating to under trial prisoners
- (6) Cases pending for more than 05 (five) years (Both Civil & Criminal)
- (7) Motor Accident Claim Cases
- (8) Matters relating to payment of amount deposited in respect Motor Accident Claim Cases
- (9) Matters under Section 125 of the Cr.P.C.
- (10) Matters directed to be disposed of within time limit by Hon'ble Supreme Court or the Hon'ble High Court (Both Civil & Criminal)
- (11) Other extreme urgent nature of Civil & Criminal Matters, which are found to be heard on urgent basis by the Court
- (12) Trial of the cases concerning sexual assault against women and children.

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त आदेश में दिए गए निर्देशों के परिपेक्ष्य में सभी पीठासीन अधिकारी अपेक्षित प्रकरणों में सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु नीचे उल्लेखित बैठक व्यवस्था के अनुसार तिथि स्वयं नियत करेंगे।

*S. Saw*  
06/4/21

आगामी कार्य दिवसों में इस जिला स्थापना के मुख्यालय में Lower Judicial Service (LJS) Level के न्यायालयों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नियमित कार्यवाही संचालित की जावेगी। इसी तरह सभी बाह्य न्यायालयों में भी नियमित कार्यवाही संचालित की जायेगी किन्तु मुख्यालय के Lower Judicial Service (LJS) Level के अन्य न्यायालयों में निम्नानुसार चक्रानुक्रम में नियमित सामान्य कार्यवाही संचालित की जावेगी :-

Sr. No.	Date	Court of Lower Judicial Service (LJS)
1	06-04-2021	1. Smt. Priyanka Agrawal (JMFC) 2. Smt. Ganga Patel (JMFC) 3. Shri Sarvvijay Agrawal Spl.Rly. Magistrate 4. Ku. Satpreet Kaur Chhabra (JMFC)
2	07-04-2021	1. Shri Dwijendra Nath Thakur (JMFC) 2. Shri Abhinav Dahariya (JMFC) 3. Ku. Sweta Patel (JMFC) 4. Shri Prateek Tembhurkar,(JMFC)
3	08-04-2021	1. Ku. Akanksha Rathore,(JMFC) 2. Ku. Leenam Bansode (JMFC) 3. Shri Avinash Toppo (JMFC) 4. Shri Kranti Kumar Singh (JMFC)
4	09-04-2021	1. Smt. Priyanka Agrawal (JMFC) 2. Smt. Ganga Patel (JMFC) 3. Shri Sarvvijay Agrawal Spl.Rly. Magistrate 4. Ku. Satpreet Kaur Chhabra (JMFC)
5	12-04-2021	1. Shri Dwijendra Nath Thakur (JMFC) 2. Shri Abhinav Dahariya (JMFC) 3. Ku. Sweta Patel (JMFC) 4. Shri Prateek Tembhurkar,(JMFC)
6	13-04-2021	1. Ku. Akanksha Rathore,(JMFC) 2. Ku. Leenam Bansode (JMFC) 3. Shri Avinash Toppo (JMFC) 4. Shri Kranti Kumar Singh (JMFC)
7	15-04-2021	1. Smt. Priyanka Agrawal (JMFC) 2. Ku. Sweta Patel (JMFC) 3. Shri Sarvvijay Agrawal Spl.Rly. Magistrate 4. Ku. Satpreet Kaur Chhabra (JMFC)

*S. S. S. S.*  
06/4/21

Sr. No.	Date	Court of Lower Judicial Service (LJS)
8	16-04-2021	1. Shri Dwijendra Nath Thakur (JMFC) 2. Shri Abhinav Dahariya (JMFC) 3. Smt. Ganga Patel(JMFC) 4. Shri Prateek Tembhurkar,(JMFC)
9	19-04-2021	1. Ku. Akanksha Rathore,(JMFC) 2. Ku. Leenam Bansode (JMFC) 3. Shri Avinash Toppo (JMFC) 4. Shri Kranti Kumar Singh (JMFC)
10	20-04-2021	1. Smt. Priyanka Agrawal (JMFC) 2. Smt. Ganga Patel (JMFC) 3. Shri Sarvvijay Agrawal Spl.Rly. Magistrate 4. Ku. Satpreet Kaur Chhabra (JMFC)
11	22-04-2021	1. Shri Dwijendra Nath Thakur (JMFC) 2. Shri Abhinav Dahariya (JMFC) 3. Ku. Sweta Patel (JMFC) 4. Shri Prateek Tembhurkar,(JMFC)
12	23-04-2021	1. Ku. Akanksha Rathore,(JMFC) 2. Ku. Leenam Bansode (JMFC) 3. Shri Avinash Toppo (JMFC) 4. Shri Kranti Kumar Singh (JMFC)
13	24-04-2021	1. Smt. Priyanka Agrawal (JMFC) 2. Smt. Ganga Patel (JMFC) 3. Shri Sarvvijay Agrawal Spl.Rly. Magistrate 4. Ku. Satpreet Kaur Chhabra (JMFC)
14	26-04-2021	1. Shri Dwijendra Nath Thakur (JMFC) 2. Shri Abhinav Dahariya (JMFC) 3. Ku. Sweta Patel (JMFC) 4. Shri Prateek Tembhurkar,(JMFC)
15	27-04-2021	1. Ku. Akanksha Rathore,(JMFC) 2. Ku. Leenam Bansode (JMFC) 3. Shri Avinash Toppo (JMFC) 4. Shri Kranti Kumar Singh (JMFC)
16	28-04-2021	1. Smt. Priyanka Agrawal (JMFC) 2. Smt. Ganga Patel (JMFC) 3. Shri Sarvvijay Agrawal Spl.Rly. Magistrate 4. Ku. Satpreet Kaur Chhabra (JMFC)
17	29-04-2021	1. Shri Dwijendra Nath Thakur (JMFC) 2. Shri Abhinav Dahariya (JMFC) 3. Ku. Sweta Patel (JMFC) 4. Shri Prateek Tembhurkar,(JMFC)

*S. S. S. S.*  
06/4/21

Sr. No.	Date	Court of Lower Judicial Service (LJS)
18	30-04-2021	1. Ku. Akanksha Rathore, (JMFC) 2. Ku. Leenam Bansode (JMFC) 3. Shri Avinash Toppo (JMFC) 4. Shri Kranti Kumar Singh (JMFC)

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी Covid-19 (Corona Virus) संक्रमण से बचाव हेतु Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, Central Govt., State Govt., and Local authority, other Competent Authorities द्वारा जारी Guidelines का पालन करेंगे, चेहरे पर Mask और Social Distancing का भी पालन करेंगे, सुनवाई हेतु प्रकरणों की संख्या ऐसी निर्धारित करेंगे ताकि सुनवाई के दौरान Court Room में अधिक संख्या में लोग इकट्ठे न हो और प्रत्येक व्यक्ति से Social Distancing का पालन कराया जा सके।

उपरोक्त उल्लेखित तालिका अनुसार चक्रानुक्रम से ही प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने यहां पदस्थ स्टाफ से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रकरणों को छोड़कर) General Date निर्धारित की जायेगी, जो जिला न्यायालय के Official website में प्रत्येक दिवस शाम को upload कर दी जायेगी, ताकि मात्र आगामी तारीख की सूचना लेने हेतु अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को न्यायालय में भटकना न पड़े।

General Date निर्धारित प्रकरणों में किसी भी पक्षकार अथवा अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होंगे परन्तु जिन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण के शीघ्रतापूर्ण या समय-सीमा पर किये जाने का निर्देश दिया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी स्वयं आगामी तारीख नियत करेंगे और तत्परता पूर्वक कार्यवाही करेंगे।

इसके अलावा कार्यरत न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों हेतु मुख्यालय में रिमाण्ड एवं अन्य अत्यावश्यक कार्य हेतु मुख्य

*Shri Avinash Toppo*  
06/4/24


न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर द्वारा पृथक से प्रत्येक दिवस हेतु ड्यूटी आदेश जारी किया जायेगा।

बिलासपुर मुख्यालय में स्थित समस्त विशेष न्यायाधीश उनके न्यायालय से संबंधित रिमांड कार्य का संपादन भी विधिवत माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर संपादित करेंगे।

आवश्यकता पड़ने पर पृथक से अतिरिक्त निर्देश जारी किये जायेंगे।

यह आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के दिनांक से ही स्वयमेव निरस्त हो जावेगा। अतः तिथियों के संबंध में अनावश्यक भ्रम की स्थिति से बचने के लिये अधिवक्तागण दिन-प्रतिदिन की ही नियत तिथि नोट करें क्योंकि बीच में सुनवाई प्रारंभ होने पर प्रकरण पूर्व से ही नियत तिथि में लिये जायेंगे।

उपरोक्त कार्य व्यवस्था में किसी भी दुविधा की स्थिति अथवा किसी न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर व्यवहार प्रकरणों के संबंध में Work Distribution Order No.Q/I-II-I/2003 Dated 30/01/2021 तथा दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य वितरण आदेश क्रमांक क्यू/सीजेएम/2021 दिनांक 28 जनवरी, 2021 प्रभावी होगा और मुख्यालय में उपलब्ध न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जावेगी।

  
06/01/2021

(सुषमा सावंत)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बिलासपुर (छ.ग.)